प्रकरण एम.जे.सी. क्रमांक–319/2026
हरिशंकर विरूद्ध मैसर्स कन्हैयालाल

29-04-2026

आवेदक द्वारा श्री कमल जैन अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 09 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर तर्क हेतु नियत है।ए

आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किए गए।

इस आदेश द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 9 सहपठित धारा 151 सीपीसी का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने वाद निष्कासन एवं बकाया किराया वसूली हेतु प्रस्तुत किया था, जिसका निराकरण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2024 को किया है। उक्त नियमित व्यवहार निरकारण का वाद क्रमांक आर0सी0एस0ए0 853/2017 व उन्मान हरिशंकर सिंगल बनाम मैसर्स कन्हैयालाल कस्तूरचंद है। यह कि उक्त व्यवहार वाद का निर्णय दिनांक 30.09.2024 से व्यथित होकर प्रथम अपील अनावेदकगण द्वारा न्यायालय एकादशम जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की थी। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 31.07.2025 को घोषित किया जाकर निर्णय दिनांक 30.09.2024 को स्थिर रखा गया है। पारिण निर्णय के विरूद्ध आवदेक द्वारा निष्पादन प्रकरण क्रमांक 88/2025 प्रस्तुत की है। उक्त निष्पादन प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में दिनांक 28.11.2025 को निरस्त हुआ है। यह कि व्यवहार प्रकरण क्रमांक 853/2017 में आवेदक ने पंजीकृत लिखित वसीयतनामा व नक्शा प्रस्तुत किया था, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रदर्श पी.–010 व प्रदर्श पी.–02 अंकित किया है। उक्त लिखतम वसीयतनामें की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त की है। उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि को आवेदक सूची अनुसार प्रस्तुत कर रहा है। यह कि प्रकरण में विवाद समाप्त हो गया है तथा कब्जा प्राप्त हो गया है। भविष्य में प्रस्तुत मूल प्रति की न्यायालय में आवश्यकता नहीं है। प्रमाणित प्रतिलिपि रिकॉर्ड पर रखा जाकर मूल लिखतम वसीयतनामा व नक्शा प्रदर्श पी.–01 व प्रदर्श पी.–02 आवेदक को वापस किया जाना उचित व न्यायसंगत है। यह कि मूल लिखतम वसीयतनामा वापस किए जाने में किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है। भविष्य में किसी प्रकार की अवश्यकता होने पर आवेदक इस आशय की अंडरटेंकिंग देता है कि वह मूल वसीयतनामा व नक्शा प्रदर्श पी.–01 व 02 न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रदर्श पी–1 मूल वसीयतनामा एवं प्रदर्श पी.–02 नक्शा वापस दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्राप्त मूल प्रकरण क्रमांक सिविल व्यवहार वाद आर0सी0एस0ए0 853/2017 व उन्मान हरिशंकर सिंगल बनाम मैसर्स कन्हैयालाल कस्तूरचंद में निर्णय दिनांक 30.09.2024 के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध निष्कासन एवं बकाया किराया वसूली हेतु पेश किया था, जिसमें आवेदक/वादी द्वारा अपना पक्ष रखते हुए प्रदर्श पी.–01 मूल वसीयतनामा एवं प्रदर्श पी.–02 नक्शा के रूप में प्रदर्शित हुआ है। उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है। मूल वसीयतना एवं नक्शा की आवश्यकता आवेदक को होने से, मूल प्रकरण क्रमांक आर0सी0एस0ए0 853/2017 व उन्मान हरिशंकर सिंगल बनाम मैसर्स कन्हैयालाल कस्तूरचंद में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श पी.–01 मूल वसीयतनामा एवं प्रदर्श पी.–02 नक्शा को निकालकर आवेदक/वादी को दिया जाना एवं उसके स्थान पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि को संलग्न किया जाना उचित प्रतीत होता। अतः आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

प्रकरण क्रमांक आर0सी0एस0ए0 853/2017 व उन्मान हरिशंकर सिंगल बनाम मैसर्स कन्हैयालाल कस्तूरचंद में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श पी.–01 वसीयतनामा एवं प्रदर्श पी.–02 नक्शा का मूल दस्तावेज आवेदक/वादी को प्रदान की जावे तथा उसकी प्राप्ति आदेश पत्रिका में ली जावे एवं उक्त असल दस्तावेज के स्थान पर उसकी ओर से प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जावे।

असल दस्तावेज आवेदक को प्रदान किये जाने के पश्चात उक्त आदेश पत्रिका की एक प्रति मूल प्रकरण क्रमांक आर0सी0एस0ए0 853/2017 व उन्मान हरिशंकर सिंगल बनाम मैसर्स कन्हैयालाल कस्तूरचंद में संलग्न कीजावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर विधिवत् अभिलेखागार भेजा जावे।

VISHAL JETHWA
Digitally signed by VISHAL JETHWA
Date: 2026.04.29 15:58:30 +0530

(विशाल जेठवा)
चतुर्थदशम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड
ग्वालियर म.प्र.